क्रम संख्या–106 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई0
ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 167/XXXVI(3)/2012/23(1)/2012
देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2012"** पर दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2012}

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 40 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 40 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा :—

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (23 वां संशोधन) नियमावली, 1999 के साथ प्रकाशित अधिसूचना संख्या 129/13–204, दिनाँक 13 मार्च, 1931 को दिनाँक 01 अप्रैल, 2007 से सदैव लागू समझा जायगा।"

आज्ञा से,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 167/XXXVI(3)/2012/23(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

NOTIFICATION

Misscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Excise (Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 03 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

THE UTTARAKHAND EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2012
[UTTARAKHAND ACT NO. 03 OF 2012]

An

Act

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 04 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand).

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third year of the Republic of India, as follows :-

Short title and Commencement **1.** **(1)** This Act may be called the Uttarakhand Excise (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 40 **2.** After sub-section (1) of section 40 of the United Provinces Excise Act, 1910 (Act No. 04 of 1910) (as applicable to the State of Uttarakhand), a proviso shall be inserted as follows:-

"Provided further that the rule tenure Uttar Pradesh Excise Export, Import and Kept in possession of Rectified Sprit (23rd Amendment) Rules, 1999 published with notification No. 129/13-2004 dated 13 March, 1931 be deemed to and always to have been in force from 01 April, 2007 to the context of the State of Uttarakhand."

By Order,

D.P. Gairola,
Principal Secretary.